तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
25/06/24	मूलवाद आदेशिकानुसार वाद-शीर्षक में तहसीलदार, कुड़ी भगतासनी का नाम अंकित हो। अप्रा अप्रार्थीगणों के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। पूर्व में अधि. प्रार्थी की बहस सुनी गई। मुताबिक बहस अधि. प्रार्थी- "ग्राम काकेलाव, ख.सं. 615 (51 बीघा 04 बिस्वा) प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि है। उक्त भूमि का प्रार्थीगण के पिता एवं अप्रार्थी सं. 01 व 02 के पिता के मध्य मौखिक बंटवारा हो चुका था। उसी अनुरूप वे अपनी भूमि पर काबिज है। नजरी नक्शे में दर्शाए ABCD की भूमि प्रार्थीगणों के बंट में आई। अप्रार्थीगण, प्रार्थीगणों को खेत खाली करने की धमकियाँ दे रहे हैं। अतः अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे कि वे प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि में दखल ना करें, निर्माण ना करें एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखे।" उपरोक्त तथ्यों, बहस, दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी का प्रा. पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगणों एवं अप्रार्थी सं. 01, 02 को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि विवादित भूमि पर किसी प्रकार का कच्चा/पक्का निर्माण कार्य ना हो तथा विशिष्ट भू-भाग दर्शाते हुए बेचान ना हो। आदेश पढ़कर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल-दफ्तर हो। Pinjwar सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) जोधपुर सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) जोधपुर

रा. मु. जो.